संख्या-146/2019/2519/22-2-2019-17(91)/2014

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 04 नवम्बर, 2019***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी माताप्रसाद पुत्र श्री मंहगू, निवासी जनपद-सुल्तानपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक दिनांक 06.08.2019, दिनांक 06.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी माताप्रसाद पुत्र श्री मंहगू, जो निवासी-नटौली कला, थाना-गोसाईगंज, जनपद-सुल्तानपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जानवर चराने के विवाद को लेकर दिनांक 05.09.1999 को 02 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लाठी, बल्लम व चाकू से मारकर 01 महिला व 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-208/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 323/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, सुल्तानपुर के आदेश दिनांक 30.09.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी द्वारा किया गया अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने में अक्षम न होने एवं जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि माताप्रसाद (बन्दी संख्या-14907) पुत्र श्री मंहगू, निवासी जनपद-सुल्तानपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-146 /2019/2519(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर।
2- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in